न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री अशोक कुमार त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या 456 / 2018

निर्णय दिनांक :– 1/3/2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

तहसीलदार तहसील देवली जिला टोंक राज0

– वादी –

बनाम

1. रेखा पुत्री सुखदेवा मीणा निवासी मुण्डियाखुर्द नाबालिग जरिये संरक्षक माता मोसमी पत्नि सुखदेवा मीणा निवासी मुण्डियाखुर्द
2. मोसमी पत्नि सुखदेवा मीणा निवासी मुण्डियाखुर्द
3. रामस्वरूप पिता तेजा मीणा निवासी मुण्डियाखुर्द

–प्रतिवादीगण –

उपस्थिति :–
पेशकार सरकार

प्रकाश चन्द जैन
अधिवक्ता अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू–राजस्व अधिनियम 1956

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादी नं0 1 के पिता व 2 के पति तथा प्रतिवादी नं0 3 को दिनांक 18.01.1983 को ग्राम मुण्डियाखुर्द में सिवायचक ख0 नं0 221 रकबा 156 बीघा 1 बिस्वा में से 10 बीघा भूमि आंवटित हुई। उक्त आवंटित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 290 दिनांक 30.04.1986 द्वारा रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2035 से 2038 में गैर खातेदारी हक से नोट अंकित किया गया। भूप्रबन्ध विभाग द्वारा भू–प्रबन्ध के बाद नया रिकार्ड तैयार करते समय मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 से 2065 में नया खाता संख्या 284 कायम किया गया जिसमें प्रतिवादी नं0 1 के पिता व 2 के पति तथा प्रतिवादी नं0 3 के नाम गैर खातेदारी हक से ख0 नं0 614 रकबा 3.00 है0 दर्ज कर दिया गया, जबकि ग्राम मुण्डियाखुर्द में 0.25 है का 1 बीघा होने से रकबा 10 बीघा के 2.50 है0 ही बनते है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के रकबा 2.50 है0 ही दर्ज होना चाहिये। मिलान क्षेत्रफल अनुसार ग्राम मुण्डियाखुर्द के हाल ख0 नं0 614 साबिक ख0 नं0 221 बने है। भू–प्रबंध बाद उक्त भूमि में नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 27.05.1992 से खातेदारी अधिकार दिये जा चुके है। सुखदेवा फोत हो जाने से वर्तमान में यह भूमि मनीषा, रेखा पुत्रिया मोसमी बेवा सुखदेवा रामस्वरूप पिता तेजा मीणा निवासी मुण्डियाखुर्द के नाम खातेदारी

दर्ज रिकार्ड है। इनमें से मनीषा भी अविवाहित ही फौत हो चुकी है। अभियाचना :– प्रतिवादीगण के नाम भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा रकबा 2.50 है0 के मुकाबले 3.00 है0 दर्ज कर दिया है, जो 0.50 है0 अधिक है। अतः ख0 नं0 614 रकबा 3.00 है0 भूमि वाके ग्राम मुण्डियाखुर्द में से 0.50 है0 भूमि सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को प्रस्तुत है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के अधिकार क्षैत्र मे प्रस्तुत किया गया है एवं अन्दर मियाद प्रस्तुत किया है। अन्य दस्तावेज व साक्ष्य वर वक्त बहस प्रस्तुत किये जा सकेगे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री प्रकाश चन्द जैन ने वकालतनामा पेश किया । अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

पत्रावली साक्ष्य प्रार्थी में नियत की गई। प्रार्थी द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई।

पत्रावली अप्रार्थी साक्ष्य में नियत की गई। अप्रार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य नहीं कराये जाने से साक्ष्य अप्रार्थी बन्द की गई।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

बहस में प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया ।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में नियमानुसार व दस्तावेजो अनुसार कार्यवाही करने की प्रार्थना की ।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का विश्लेषण करने पर यह तथ्य सामने आये कि तहसीलदार के प्रार्थना पत्र अनुसार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के पिता व अप्रार्थी संख्या 3 को दिनांक 18.01.1983 ग्राम मुण्डिया खुर्द ख. नं. 221 रकबा 10 बीघा भूमि सुखदेवा , रामस्वरूप पुत्र तेजा मीणा को आवंटन हुई जिसका नामान्तकरण संख्या 290 दिनांक 30.04.86 को गैर खातेदारी हक प्राप्त हुआ, जिसका नोट सेटलमेंन्ट से पूर्व की जमाबन्दी सम्वत 2035–38 में डाला गया। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नया रिकॉर्ड बनाते समय मिसल में खाता संख्या 284 ख. नं. 614 रकबा 3.00 है0 दर्ज कर दिया। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अवलोकन से ख. नं. 221 मिन से ख. नं. 614 बनना दर्शित है। नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 27.05.1992 से सुखदेवा, रामस्वरूप पुत्र तेजा मीणा को खातेदारी अधिकारी दे दिये गये। सुखदेवा के फौत होने के बाद उसके वारिस रिकॉर्ड पर आये और उसके बाद की उतरोतर राजस्व रिकॉर्ड में ख. नं. 614 रकबा 3.00 है0 दर्ज होता रहा और वर्तमान में भी ख. नं. 614 रकबा 3.00 है0 दर्ज राजस्व अभिलेख है। उक्त के विश्लेषण व विवेचन से स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 94 दिनांक 27.05.92 को राजस्व कार्मिको को खातेदारी अंकन करते समय साबिक रिकॉर्ड का गहन अवलोकन नहीं करने के कारण अप्रार्थीगण को 10 बीघा

भूमि का रकबा वर्तमान माप अनुसार 2.50 है0 होना चाहिए था जिसके स्थान पर 3.00 है0 दर्ज राजस्व अभिलेख हो गया। न्यायालय के विनम्र मत में इस त्रुटि को दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज ख. नं. 614 रकबा 3.00 है0 के स्थान पर रकबा 2.50 है0 किया जावे और शेष 0.50 है0 रकबे को राजस्व रिकॉर्ड में सिवाचयक दर्ज कर मौके व रिकॉर्ड में तरमीम की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली